न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–3, आजमगढ़

उपस्थित– अजय श्रीवास्तव,(एच०जे०एस०)

J.O.Code U.P. 2403

UPAZ010060702026

Bail Application/2689/2026

राहुल कुमार उम्र लगभग 28 साल पुत्र रामदुलार, निवासी कोईलारी खुर्द, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़। ---आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० सरकार ---विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या–148/2026
धारा–61(2), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 351(3), 352 बी०एन०एस०
थाना–कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

दिनांक–29.07.2026

01. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो सुनवाई हेतु आज नियत है।

02. आवेदक/अभियुक्त की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में रामदुलार का शपथ पत्र दाखिल कर सशपथ कथन किया गया है कि जमानत प्रार्थना में दिये गये सभी तथ्य उसकी जानकारी में सही व सच है न तो कोई बात झूठी है और न ही कोई बात छिपायी गयी है।

03. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा सुधीर यादव पुत्र सुरेश यादव ने स्थानीय थाने पर इस आशय की तहरीर दी है कि "प्रार्थी को नौकरी के नाम पर ग्राम कोइलारी खुर्द, थाना रानी की सराय जिला–आजमगढ़ का रहने वाले विद्यासागर पुत्र स्व० अदालती मो0–70688XXXXX द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर माह नवम्बर 2022 में प्रार्थी से पैसा लिया जिसमें कैश के रुप मे मुब 0– 4,00,000/– (चार लाख रुपये) अपने घर पर उक्त तिथि को लिया, जो अर्ध सैनिक बल के भर्ती में नौकरी के दिलाने के नाम पर लिया गया। उक्त व्यक्ति फर्जी दस्तावेज तैयार करके नौकरी में फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने के नाम ठगी करता है। प्रार्थी के साथ सन्

Digitally signed by AJAY SRIVASTAVA
Date: 2026.07.29 16:33:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2022 से 2024 तक कुल मुब 0 6,50,000/– रुपये (छः लाख पचास हजार रुपये) लिया गया। जिसमें माह मई 2023 में मुब 0 50,000/– रुपये तथा माह सितम्बर 2023 में मुब 0– 50,000/–रुपये विरेन्द्र यादव पुत्र छांगूर यादव मो0–73522XXXXX नाम के व्यक्ति के खाता में जो यू०बी०आई० सेठवल, आजमगढ़ पर पैसा लिया गया तथा मुन्ना शर्मा उर्फ मुन्ना मामा पुत्र अज्ञात जिला– बलिया मो0– 88085XXXXX द्वारा मुब०–1,50,000/– रुपये दिनांक 16–17 मई सन् 2024 को विद्यासागर यादव ने दिलाया। उक्त व्यक्ति फर्जी दस्तावेज की सामग्री अपने घर पर तैयार करता है। प्रार्थी की नौकरी अर्ध सैनिक बल में लग गया, जब अर्ध सैनिक बल के प्रमाण पत्र सत्यापन की जांच हुई तो प्रार्थी को पता चला कि उक्त निवास व जाति प्रमाण पत्र फर्जी है जो कि उक्त के द्वारा ओरिजिनल प्रमाण पत्र बनाकर देने व नौकरी के नाम पर मुब 0–6,50.000/– रुपये लिया गया था। प्रार्थी को जांच के उपरांत फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी से निष्कासित कर दिया गया। प्रार्थी विद्यासागर के घर गया तो सभी बात बतायी और अपना पैसा वापस मांगा गया। तब उक्त व्यक्ति विद्यासागर ने प्रार्थी को मां –बहन की गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी गयी। उक्त के द्वारा काफी लोगों के साथ फर्जीवाड़ा फर्जी दस्तावेज तैयार कर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेकर ठगी करता है।" उक्त कथानक के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुयी।

04. जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है और रंजिशवश मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा जमानत का कभी भी दुरूपयोग नहीं किया जायेगा। प्रार्थी दिनांक 18.06.2026 को जेल से तलब कर उक्त मुकदमें में रिमाण्ड बनवाया गया है प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में जनपद कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध है। प्रार्थी का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी को मु0 अ 0 सं0–123/2026 थाना रानी की सराय के मुकदमे में पुलिस द्वारा घर से बुलाकर दिनांक 19.05.2026 से थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ में बैठाये थे और दिनांक 23.05.2026 तक अवैध तरीके से थाने में निरूद्ध रखे। अं० धारा 58 बी०एन०एस०एस० के बाध्यकारी प्रावधान का अनुपालन मुकामी पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। धारा 58 बी० एन० एस० एस० के अनुसार गिरफतारी के 24 घण्टे के अंदर सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय में प्रार्थी को प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी के विरोधियों के यहाँ वादी मुकदमा का आना–जाना है। वादी मुकदमा प्रार्थी के विरोधियों के असर व प्रभाव मे होकर विवेचना के स्तर पर विवेचनाधिकारी से मिलकर झूठा साक्ष्य गढ़कर प्रार्थी को प्रस्तुत मामले में अभियुक्त बना दिया गया है। प्रस्तुत मामले में प्रार्थी द्वारा नौकरी के लिये रूपया लेने या फर्जी निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनवाने का कोई आरोप अभियोजन कथानक में प्रार्थी के विरूद्ध नहीं है। प्रस्तुत मामले से प्रार्थी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है और वादी मुकदमा ने अर्द्धसैनिक बल में नौकरी पा लेना भी बताया है। जाति प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र तथा

उसके सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी नौकरी प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की है जिसके सही दायित्व का निर्वहन उसी के द्वारा न करने की बात परिलक्षित होते हुए भी झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। प्रस्तुत मामले में प्रथमतः अं०धारा 319 (2), 318(4), 340(2), 351(3). 352, 336(3), 338, 61 (2) में मुकदमा पंजीकृत हुआ। वादी मुकदमा ने प्रार्थी के खाते में कोई रूपया का लेन–देन नहीं किया है। वादी मुकदमा द्वारा झूठा आरोप लगाया गया है। प्रार्थी द्वारा जमानत में लगायी गयी शर्तों का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से पालन किया जायेगा। उपस्थिति के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा कभी कोई चूक नहीं होगी। प्रार्थी का जमानत आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकृत हो चुका है। प्रार्थी द्वारा श्रीमान के न्यायालय में यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत है। इस जमानत आवेदन पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में कोई अन्य जमानत आवेदन पत्र लम्बित नहीं है। उपरोक्त कारणों से आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा होने की याचना की गयी।

05. जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए न्यायालय में कार्यरत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर गंभीर अपराध कारित किया गया है तथा जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई आधार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निराधार है, खारिज किया जाये।

06. जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उठाये गये तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

07. पत्रावली के परिशीलन तथा उभय पक्षों को सुनने के उपरांत यह सुसंगत है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त नामित नहीं है। घटना वर्ष 2022 की बतायी गयी है। प्रथम दृष्टया आवेदक/अभियुक्त के पास से रूपये पैसे के लेन–देन के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। प्रकरण में यह सुसंगत है कि सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में स्वीकार हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त की भूमिका सह अभियुक्त से भिन्न नहीं बतायी गयी है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त के विरूद्ध कथित अपराध की सत्यता मामले में विचारण का विषय है।

08. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के इस स्तर पर गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त राहुल कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा रू० 1,00,000/– (एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि का दाखिल करने पर उसे निम्नलिखित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा,

2– दौरान विचारण अभियोजन साक्षीगण को भयभीत व प्रभावित नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा,

3– न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अभियुक्त स्वयं उपस्थित होगा तथा विचारण में सहयोग करेगा,

4–आवेदक/अभियुक्त सम्बन्धित मुकदमें में आरोप विरचन, अभियुक्त का बयान अभिलिखित किये जाने तथा बहस हेतु नियत तिथियों पर अथवा न्यायालय के आदेश पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा,

अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक–29.07.2026

(अजय श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं०–3, आजमगढ़
J.O.Code U P 2403